भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 19

उत्तर देने की तारीख 04.12.2023

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृति का संवर्धन और विकास

19. श्री दिलीप शइकीया:
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री वाई. देवेन्द्रप्पा :
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :
श्री देवजी पटेल :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न-राज्यों विशेषकर उत्तर पूर्व राज्यों, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृति और धार्मिक प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

(जी. किशन रेड्डी)

(क): लोक कला और संस्कृति के विविध रूपों को संरक्षित, परिरक्षित और संवर्धित करने और देश के विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृति को विकसित करने के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं। ये जेडसीसी देश भर में नियमित आधार पर विविध सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करते

हैं। ये जेडसीसी युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार, गुरु शिष्य परम्परा, रंगमंच नवीनीकरण, शोध और प्रलेखन, शिल्पग्राम, ऑक्टेव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जैसी अनेक स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) भी इन जेडसीसी के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जहां पूरे भारत से बड़ी संख्या में कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवंबर, 2015 से अब तक देश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा चौदह (14) आरएसएम और तीन (3) क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम का आयोजन किया गया है। ये जेडसीसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम 42 क्षेत्रीय महोत्सवों का आयोजन भी करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय पूर्वोत्तर के राज्यों, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड सहित देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों को संवर्धित करने और विकसित करने हेतु निम्नलिखित वित्तीय सहायता स्कीमों का भी संचालन करता है:

i. गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

ii. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता

iii. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति

iv. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

v. वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता

vi. सेवा भोज योजना

पूर्वोक्त स्कीमों और उनके घटकों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) से (घ): सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृति का संवर्धन और विकास' के संबंध में दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत और नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की राशि- गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह (कलाकारों की आयु पर निर्भर)

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य देश में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करते हुए कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करने वाले राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों ('गैर-लाभ-अर्जक' संगठन, एनजीओ, सोसाइटियां, न्यास, विश्वविद्यालय आदि) को वित्तीय सहयता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के

अंतर्गत 5 लाख रुपए (विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए) का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में पर्यटक/आगंतुक नियमित रूप से आते हैं और प्रमुख आयोजनों/महोत्सवों के दौरान आगंतुकों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड

एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपए।

vii. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में 03 घटक हैं। स्कीम घटकों के नाम और विवरण नीचे दिए गए हैं :

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती है। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर स्वयं को संबद्ध किया जा सके। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

4. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों आदि) के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है।

5. वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयोवृद्ध कलाकारों, जिनकी वार्षिक आय 48000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो, को प्रति माह 6000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन अब अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को मुफ्त भोजन वितरित किए जाने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

'राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्कृति का संवर्धन और विकास' के संबंध में दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता

गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	4.18	5.52	16.42	11.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.80	--	--	--
3.	असम	53.40	227.10	200.38	27.16
4.	बिहार	181.60	190.80	363.82	198.00
5.	छत्तीसगढ़	--	--	--	13.18
6.	गुजरात	44.96	29.16	27.84	31.44
7.	हरियाणा	21.94	30.84	93.06	18.30
8.	हिमाचल प्रदेश	9.84	48.06	51.12	29.48
9.	झारखंड	2.64	21.54	69.18	37.60
10.	कर्नाटक	291.94	470.04	807.40	396.54
11.	केरल	90.60	81.12	264.44	79.45
12.	मध्य प्रदेश	294.12	236.58	525.48	277.80
13.	महाराष्ट्र	156.04	237.36	307.66	187.10
14.	मणिपुर	420.52	669.78	900.72	300.28
15.	मिजोरम	--	--	26.64	--
16.	नागालैंड	--	5.52	8.88	--
17.	ओडिशा	107.08	152.16	289.20	109.54
18.	पंजाब	24.48	37.44	43.56	21.68
19.	राजस्थान	16.32	57.12	95.20	65.02
20.	सिक्किम	--	--	2.64	0.44
21.	तमिलनाडु	49.54	17.28	108.60	48.60
22.	तेलंगाना	75.00	82.56	153.02	12.20
23.	त्रिपुरा	6.36	7.68	6.24	26.00

24.	उत्तर प्रदेश	161.57	195.32	293.97	216.32
25.	उत्तराखंड	20.86	23.04	80.86	25.30
26.	पश्चिम बंगाल	916.30	821.76	2060.80	905.91
27.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	59.58	51.48	120.84	65.50
28.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	14.16	14.16	49.20	15.02
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	439.60	535.16	793.36	352.60
30.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	12.72	--	50.04	20.52

आर के मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	असम	--	--	--	22.50
2.	कर्नाटक	--	--	22.50	--
3.	केरल	--	--	--	18.75
4.	मध्य प्रदेश	--	--	0.59	--
5.	राजस्थान	21.25	--	37.50	--
6.	तेलंगाना	--	--	--	22.50
7.	उत्तर प्रदेश	45.00	12.50	93.75	22.50
8.	पश्चिम बंगाल	722.96	734.75	738.56	597.37
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	141.25	5.99	241.25	41.25
10.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	--	--	3.75	--

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	23.05	66.67	62.85	9.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.37	2.25	--	--
3.	असम	30.12	34.66	96.21	14.83
4.	बिहार	42.93	95.26	203.20	33.33
5.	छत्तीसगढ़	8.75	13.03	5.50	3.75
6.	गोवा	0.75	3.75	0.62	--
7.	गुजरात	18.43	19.12	23.40	5.42
8.	हरियाणा	43.26	42.43	62.59	50.19
9.	हिमाचल प्रदेश	4.19	21.91	11.00	2.25
10.	झारखंड	0.50	11.37	14.26	7.25
11.	कर्नाटक	205.70	284.60	349.42	70.51
12.	केरल	37.03	57.52	48.38	24.89

13.	मध्य प्रदेश	79.78	200.12	264.90	79.62
14.	महाराष्ट्र	56.26	63.63	104.12	20.30
15.	मणिपुर	112.68	115.04	196.17	23.37
16.	मिजोरम	3.00	1.50	--	--
17.	नागालैंड	1.03	2.25	4.62	0.97
18.	ओडिशा	173.80	182.99	296.88	191.56
19.	पंजाब	8.60	22.21	23.27	15.40
20.	राजस्थान	28.31	63.81	81.16	28.32
21.	तमिलनाडु	46.15	34.84	18.87	7.98
22.	तेलंगाना	19.76	13.87	16.87	4.11
23.	त्रिपुरा	6.50	5.75	16.15	3.06
24.	उत्तर प्रदेश	167.15	274.55	343.33	107.62
25.	उत्तराखंड	14.36	14.78	28.11	11.53
26.	पश्चिम बंगाल	216.08	364.14	544.44	126.71
27.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	28.30	43.63	50.33	6.88
28.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	11.75	8.25	0.50	14.94
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	263.20	263.42	408.06	132.85
30.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	--	3.00	--	--

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	98.25	103.50	117.95	23.00
2.	सिक्किम	26.50	16.50	10.00	6.00

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	271.82	394.06	518.19	11.50
2.	असम	20.53	22.49	30.00	5.50
3.	मणिपुर	15.95	0.00	5.50	0.00
4.	सिक्किम	9.04	37.50	0.00	0.00

5.	त्रिपुरा	39.50	82.91	37.50	0.00
6.	कर्नाटक	204.02	212.59	272.80	12.50
7.	महाराष्ट्र	20.00	15.00	38.25	0.00

स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	--	--	--
2.	असम	15.40	10.30	5.40	--
3.	बिहार	--	--	0.60	--
4.	छत्तीसगढ़	7.50	--	7.50	--
5.	हिमाचल प्रदेश	7.50	20.83	12.79	--
6.	कर्नाटक	14.00	49.80	26.40	25.00
7.	केरल	--	--	1.40	--
8.	मध्य प्रदेश	7.26	4.00	3.00	--
9.	महाराष्ट्र	8.80	5.40	--	--
10.	मणिपुर	31.10	11.92	15.98	--
11.	नागालैंड	27.00	--	--	--
12.	ओडिशा	12.74	4.00	--	--
13.	पंजाब	--	1.20	--	--
14.	राजस्थान	10.00	--	7.50	--
15.	तेलंगाना	2.86	--	4.29	--
16.	उत्तराखंड	5.51	--	--	--
17.	पश्चिम बंगाल	22.20	15.35	34.62	--
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	6.60	10.25	4.00	7.20

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अब तक)
1.	आंध्र प्रदेश	9.60	13.20	17.40	6.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.40	2.40	--	--
3.	असम	37.20	75.60	58.80	25.20
4.	बिहार	27.60	32.40	48.00	15.60
5.	छत्तीसगढ़	14.40	30.00	11.40	5.40
6.	गोवा	4.20	12.00	2.40	--
7.	गुजरात	18.60	37.20	27.00	6.60
8.	हरियाणा	24.00	33.60	40.20	11.40
9.	हिमाचल प्रदेश	2.40	2.40	7.20	2.40
10.	झारखंड	22.20	44.40	17.40	22.20
11.	कर्नाटक	55.20	100.80	61.20	36.00
12.	केरल	52.20	68.40	85.20	22.80
13.	मध्य प्रदेश	64.20	104.40	93.00	19.80
14.	महाराष्ट्र	66.00	121.80	118.80	37.20
15.	मणिपुर	31.00	102.20	37.20	18.00
16.	मेघालय	--	2.40	1.20	--
17.	नागालैंड	1.20	4.80	1.80	0.60
18.	ओडिशा	85.20	171.40	129.60	30.00
19.	पंजाब	5.40	12.00	7.20	3.60
20.	राजस्थान	27.60	63.20	39.60	9.00
21.	तमिलनाडु	13.80	45.60	24.60	9.00
22.	तेलंगाना	21.60	27.60	27.00	10.80
23.	त्रिपुरा	2.40	8.40	3.60	3.60
24.	उत्तर प्रदेश	100.80	167.20	154.80	66.00
25.	उत्तराखंड	12.60	14.40	21.00	7.80
26.	पश्चिम बंगाल	59.40	115.00	118.20	37.80
27.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	4.80	13.20	19.80	1.80
28.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1.20	--	3.60	--
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	117.60	200.80	178.20	45.00
30.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	3.60	7.20	7.20	1.20

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अब तक)
1.	आंध्र प्रदेश	6.30	6.00	0.90	1.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.40	2.40	0.30	1.20
3.	असम	17.70	16.80	8.40	18.60
4.	बिहार	13.50	12.90	4.80	13.20
5.	छत्तीसगढ़	10.50	10.50	3.00	10.80
6.	गोवा	1.20	1.20	0.60	1.20
7.	गुजरात	7.50	7.80	1.50	5.40
8.	हरियाणा	9.00	6.60	1.50	5.40
9.	हिमाचल प्रदेश	2.40	1.20	--	0.90
10.	झारखंड	3.90	5.10	2.40	5.70
11.	कर्नाटक	31.50	24.00	9.00	20.10
12.	केरल	27.30	22.20	6.00	14.70
13.	मध्य प्रदेश	36.00	38.40	8.10	31.80
14.	महाराष्ट्र	39.00	39.60	12.00	27.30
15.	मणिपुर	9.00	9.00	2.10	8.40
16.	मिजोरम	0.30	0.30	--	--
17.	ओडिशा	21.60	22.50	7.50	23.10
18.	पंजाब	4.80	4.20	1.20	2.40
19.	राजस्थान	6.00	6.30	3.00	8.10
20.	सिक्किम	0.30	0.60	0.30	0.30
21.	तमिलनाडु	7.80	11.10	5.40	10.50
22.	तेलंगाना	3.90	3.60	0.90	2.70
23.	त्रिपुरा	0.90	0.90	0.60	2.70
24.	उत्तर प्रदेश	40.20	45.90	10.50	30.60
25.	उत्तराखंड	3.60	2.40	0.90	3.90
26.	पश्चिम बंगाल	48.30	58.50	20.10	64.80
27.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	6.00	4.80	0.30	2.40
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	--	--	--	0.30
29.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.60	0.90	0.90	1.50

30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	17.40	24.00	6.30	14.70
31.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.60	0.60	--	--

सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	महाराष्ट्र	3.60	30.10	--	3.60
2.	तमिलनाडु	9.05	--	--	--
3.	तेलंगाना	10.80	13.50	--	--
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	--	6.00	--	--
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	4.80	2.65	--	--

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	--	--	--	572.09
2.	कर्नाटक	--	254.70	--	--
3.	मेघालय	--	--	500.00	--
4.	राजस्थान	--	94.50	--	54.91
5.	तमिलनाडु	596.43	--	--	--

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	5.10	72.29	84.66	118.80
2.	असम	0.96	0.48	1.57	--

3.	बिहार	--	--	--	11.36
4.	हरियाणा	--	0.93	0.56	1.89
5.	झारखंड	2.28	3.00	3.59	3.18
6.	कर्नाटक	29.97	59.55	64.32	186.18
7.	केरल	8.18	24.49	25.30	32.82
8.	मध्य प्रदेश	2.44	5.04	3.86	2.16
9.	महाराष्ट्र	106.61	190.49	273.49	502.86
10.	मणिपुर	3.36	7.84	0.60	12.68
11.	नागालैंड	0.48	0.92	0.12	0.96
12.	ओडिशा	119.46	276.95	30.67	428.71
13.	राजस्थान	0.07	1.23	0.71	1.20
14.	तमिलनाडु	0.87	15.49	14.60	393.71
15.	तेलंगाना	53.20	217.29	268.16	186.81
16.	त्रिपुरा	0.24	0.92	0.12	--
17.	उत्तर प्रदेश	5.12	13.08	15.46	29.69
18.	पश्चिम बंगाल	5.09	12.31	11.71	19.25
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	--	--	--	2.82
20.	एलआईसी	527.85	639.87	783.58	--

सेवा भोज योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (अब तक)**
1.	पंजाब	169.00	154.00	143.00	146.00

******